

# यौन अपराधों की सूचना पुलिस को देना

यदि आप पुलिस को किसी यौन अपराध की सूचना देने का फैसला करते/करती हैं, तो आपके साथ सम्मान, विनम्रता और गरिमा से बर्ताव किया जाएगा। आप हमसे निम्नलिखित बातों की उम्मीद कर सकते/सकती हैं।

- कल्याण, सुरक्षा और सम्मान** | आपका कल्याण और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम बिना कोई धारणा बनाए आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ विनम्रता, सम्मान और गरिमा से बर्ताव करेंगे। हम आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आपकी संभावित व्यक्तिगत सुरक्षा और/या सुलभता संबंधी आवश्यकताओं का सम्मान करेंगे। आपके साथ औपचारिक जाँच-पड़ताल किए जाने या न किए जाने से सम्बन्धित फैसले की चर्चा की जाएगी और आपके विचारों का सम्मान किया जाएगा तथा इनपर ध्यान दिया जाएगा।
- समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी** | हम आपकी अनौपचारिक और औपचारिक समर्थन आवश्यकताओं के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। हम आपके साथ सहभागिता में काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध पीड़ितों और समर्थन से सम्बन्धित संस्थाओं के साथ आपका संपर्क स्थापित कराने के माध्यम से आपके पास उचित समर्थन उपलब्ध रहे।
- सहायक व्यक्ति से सहायता लेना** | आप हमारे साथ अपने संपूर्ण लेन-देन के दौरान अपनी पसंद का सहायक व्यक्ति अपने साथ रख सकते/सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपका सहायक व्यक्ति मामले में एक गवाह न हो और वह पुलिस के जाँच-पड़ताल कार्य में हस्तक्षेप न करे।
- पुलिस के साथ संपर्क करना** | आपकी जाँच-पड़ताल का प्रबंध एक विशेषज्ञ जासूस द्वारा किया जाएगा जो आपका मुख्य संपर्क होगा। उनके संपर्क विवरण इस पुस्तिका के पृष्ठ 5 पर लिखे जा सकते हैं।
- जाँच-पड़ताल से सम्बन्धित जानकारी** | हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि पूरी जाँच-पड़ताल के दौरान आप हमारे द्वारा स्वयं को कैसे सूचित रखा जाना चाहते/चाहती हैं और हम सहमत तरीके के अनुसार आपको अपडेट रखेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो हम उपलब्ध होंगे।
- सूचना देने में देर-सबेर क्या** | यौन अपराधों की सूचना देने की कोई समय-सीमा नहीं होती है। विशेषज्ञ जासूस यौन अपराधों की जाँच-पड़ताल करने में प्रशिक्षित होते हैं, चाहे ये अपराध कहीं भी घटित हुए हों।

## इस पुस्तिका के बारे में

इस पुस्तिका में इन बातों का वर्णन किया गया है कि यौन अपराध क्या होते हैं, यदि आप पुलिस को यौन अपराधों की सूचना देने का फैसला लेते/लेती हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते/सकती हैं, जाँच-पड़ताल के दौरान और अदालत में क्या होता है, और आपके लिए कौन से समर्थन विकल्प उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में प्रयोग की गई कुछ शब्दावली आपके लिए अपरिचित हो सकती है और अलग-अलग संगठन व संस्थाएँ अलग-अलग शब्दावलियों का प्रयोग कर सकती हैं। **आप इस पुस्तिका के पृष्ठ 5 पर शब्दावली देख सकते/सकती हैं।**

## यौन अपराध क्या है?

यौन अपराध उस परिस्थिति में घटित होता है जब कोई व्यक्ति यौन कृत्य या कृत्यों के लिए सहमति नहीं देता है।

यौन अपराधों से संदर्भ अनेक प्रकार के यौनाचरणों से हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति असुखद, भयभीत या डरा हुआ महसूस करता है तथा इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और बाल यौन दुर्व्यवहार शामिल हो सकता है।

यौन अपराध अक्सर किसी ऐसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति परिचित होता है या जिसपर वह भरोसा करता है तथा वह उनके करीब होता है। यौन संबंधी अपराध कहीं भी घटित हो सकते हैं। यह पारिवारिक घर, समुदाय और संस्थागत परिसर (जैसे स्कूल, चर्च, क्लब, वयोवृद्ध देखभाल केन्द्र या विकलंगता सेवा) में घटित हो सकता है। यौन अपराध का अनुभव एकबारगी या लंबी अवधि के दौरान बार-बार हो सकता है।

## विषय-वस्तु

1	इस पुस्तिका के बारे में
1	यौन अपराध क्या है?
2	यौन अपराधों की सूचना पुलिस को देना
2	यदि यौन अपराध बहुत समय पहले हुआ हो, तो क्या होगा?
2	मैं इसकी सूचना पुलिस को कैसे दे सकता/सकती हूँ?
2	समर्थन एवं कल्याण जानकारी
2	पुलिस की जाँच-पड़ताल में क्या शामिल होता है?
2	यदि मैं इसे आगे जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, तो क्या होगा?
2	अपना बयान रिकॉर्ड करना
3	फॉरेंसिक मेडिकल जाँच
3	अन्य प्रमाण एकत्र करना
3	दोषी व्यक्ति का साक्षात्कार करना
3	प्रमाण की जाँच करना
3	अदालत में उपस्थिति और गवाह के लिए समर्थन
3	पुलिस से संपर्क करें
4	मैं और किस व्यक्ति से बात कर सकता/सकती हूँ?
5	शब्दावली

## यौन अपराधों की सूचना पुलिस को देना

यौन अपराधों की सूचना पुलिस को देना एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम बिना कोई धारणा बनाए आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ सम्मान और गरिमा से बर्ताव करेंगे। हमारे जासूस विशेषज्ञ होते हैं और उन्हें यौन अपराधों की पेचीदा और विविध प्रवृत्ति को समझने में प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके साथ हुआ, वह एक आपराधिक जुर्म है या नहीं। यह पता लगाना हमारा काम है। यदि अपने साथ किए गए किसी कृत्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो हम आपको हमारे यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार टीमों (Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team - SOCITs) या Sano कार्यबल के साथ बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। **आप पृष्ठ 3 पर SOCITs और Sano कार्यबल के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते/सकती हैं।**

आपके साथ जो हुआ, उसके बारे में हमें बताने का यह अर्थ नहीं है कि आपका मामला आगे बढ़कर अदालत तक जाएगा। हम आपके विकल्पों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और आपके विचारों पर मनन किया जाएगा तथा इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

हम यह समझते हैं कि अपने अनुभव हमें बताना कठिन हो सकता है। ऐसी समर्थन संस्थाएँ उपलब्ध हैं जो आपका समर्थन करने में मदद दे सकती हैं। चाहे आप पुलिस को सूचना देने का फैसला लें या न लें। **आप पृष्ठ 4 पर इनकी सूची प्राप्त कर सकते/सकती हैं।**

सभी प्रकार के यौन अपराध गंभीर होते हैं। कानून के अंतर्गत हरेक व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त है।

## यदि यौन अपराध बहुत समय पहले हुआ हो, तो क्या होगा?

यौन अपराधों की सूचना देने में देर-सबेर क्या।

कई वर्षों के बाद यौन अपराधों की सूचना देने का फैसला लेना काफी सामान्य बात है। हम समझते हैं कि यौन अपराधों का अनुभव करने वाले अधिकांश लोग इसके बारे में किसी को बताने में विलंब करते हैं या हो सकता है कि वे कभी भी इसके बारे में न बताएँ।

इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि अपराध कुछ घंटे, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ वर्ष या फिर कुछ दशक पहले हुआ हो। हमारे जासूस जाँच-पड़ताल करेंगे।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसकी सूचना दें, भले ही यौन अपराध कभी भी घटित हुआ हो और आपको लगता हो या आप यह जानते/जानती हों कि दोषी की मृत्यु हो चुकी है।

### मैं इसकी सूचना पुलिस को कैसे दे सकता/सकती हूँ?

हमारी यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (Sexual Offences and Child Abuse Investigation Teams - SOCITs) और Sano कार्यबल के जाँचकर्ता यौन अपराधों की जाँच-पड़ताल करने में विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं।

यौन अपराध की सूचना पुलिस को देने के लिए:

- अपने स्थानीय SOCIT को फोन करें (विवरण के लिए पृष्ठ 3 देखें)
- अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएँ (विवरण के लिए वेबसाइट [police.vic.gov.au/location](http://police.vic.gov.au/location) देखें)
- आपातक स्थिति में ट्रिपल ज़ीरो (000) पर फोन करें।

किसी धार्मिक या संस्थागत परिसर में घटित हुए बाल यौन दुर्व्यवहार (अतीत या वर्तमान में) की सूचना भी Sano कार्यबल को निम्नलिखित माध्यमों से दी जा सकती है:

- 1800 110 007 पर टेलीफोन करें
- [sanotaskforce@police.vic.gov.au](mailto:sanotaskforce@police.vic.gov.au) पते पर ई-मेल भेजें

यदि आप हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किसी सलाहकार से बात करने के लिए आप यौन उत्पीड़न विरोध केन्द्र (Centre Against Sexual Assault - CASA) से संपर्क कर सकते/सकती हैं। **CASA के बारे में तथा अपने लिए उपलब्ध अन्य समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए पृष्ठ 4 देखें।**

## समर्थन एवं कल्याण जानकारी

जाँचकर्ता या CASA सलाहकार यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ काम करेगा कि आपको उचित समर्थन प्राप्त हो।

हम आपके लिए उपलब्ध निःशुल्क समर्थन सेवाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इन सेवाओं में शामिल हैं:

- अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि के लिए सलाह तथा समर्थन के लिए आगे की कार्यवाही करना
- चिकित्सीय सहायता और चिकित्सीय उपचार के लिए आगे की कार्यवाही करना
- जाँच-पड़ताल और अदालती प्रक्रिया के दौरान सूचना और समर्थन
- आपातक आवास
- अपराध पीड़ित सहायता ट्राइब्यूनल (Victims of Crime Assistance Tribunal) के पास आवेदन करने में समर्थन
- परिवार, मित्रों और सहायक व्यक्तियों के लिए सूचना एवं सलाह।

**आपके लिए उपलब्ध समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी पृष्ठ 4 पर दी गई है।** ये सेवाएँ आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे आप पुलिस को सूचना देने का फैसला लें या न लें।

## पुलिस की जाँच-पड़ताल में क्या शामिल होता है?

यौन अपराधों से संबंधित जाँच-पड़ताल विशेषज्ञ जासूसों द्वारा संचालित की जाती है।

आपकी जाँच-पड़ताल का नेतृत्व एक विशेषज्ञ जाँचकर्ता द्वारा किया जाएगा जो आपका मुख्य संपर्क होगा।

हम जाँच-पड़ताल के दौरान आपको प्रगति की सूचना देते रहेंगे और यदि आपके पास कोई सवाल या शंकाएँ हों, तो हम इनके लिए उपलब्ध होंगे। हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि आप जाँच-पड़ताल के दौरान हमारे द्वारा स्वयं को कैसे अपडेट रखना चाहते/चाहती हैं - लिखित तौर पर, फोन, ई-मेल द्वारा या वैयक्तिक रूप से। यदि आप नवीन जानकारी से अवगत नहीं रहना चाहते/चाहती हैं तो हमें बताएँ, या फिर हमें यह बताएँ कि हम आपके बजाएँ आपके सहायक व्यक्ति को प्रगति रिपोर्टें दें।

पुलिस की जाँच-पड़ताल में कई चरण होते हैं, जिनमें आपका बयान रिकॉर्ड करना और प्रमाण इकट्ठा करना तथा इसकी जाँच करना शामिल है। **जाँच-पड़ताल में शामिल बातों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी पृष्ठ 2-3 पर दी गई है।**

## यदि मैं इसे आगे जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, तो क्या होगा?

हम पूरी जाँच-पड़ताल के दौरान आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपका समर्थन करेंगे। परन्तु हम यह भी समझते हैं कि आप ऐसा फैसला ले सकते/सकती हैं कि पुलिस जाँच-पड़ताल को जारी रखना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है।

इसे जारी न रखने का निर्णय लेने का यह अर्थ नहीं है कि आप आगे चलकर बाद में इसपर कार्यवाही नहीं कर सकते/सकती हैं। परन्तु जाँच-पड़ताल में विलंब होने से कुछ प्रमाण लुप्त हो सकते हैं। यदि समुदाय की सुरक्षा को खतरा हो, तो हो सकता है कि हम जाँच-पड़ताल कार्य को आगे बढ़ाएँ चाहे आपका निर्णय कुछ भी हो।

भले ही आपका निर्णय कुछ भी हो, आपकी सुरक्षा और आपका कल्याण हमारी प्राथमिकता है और हम समर्थन सेवाओं के साथ आपका संपर्क स्थापित करने के लिए आपके साथ काम करेंगे।

## अपना बयान रिकॉर्ड करना

जाँच-पड़ताल का एक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस द्वारा आपका बयान लेना है।

आम-तौर पर हम जाँच-पड़ताल की शुरुआत में ही एक गोपनीय परिवेश में आपका बयान लेंगे। बयान में आपके अनुभव के बारे में आपको याद आते अधिक से अधिक विवरण के साथ लिखी जाती हैं। जो घटित हुआ है उसके बारे में आपको जो कुछ भी याद है, हम उन सभी बातों के बारे में आपसे पूछेंगे, जिसमें आवाज़ें, गंध, आपको कैसा महसूस हुआ और आपने क्या किया, यह सब शामिल है। यह कोशिश करें कि आप कोई बात बताना भूल न जाएँ। यहाँ तक कि आपको संभावित रूप से महत्वहीन लगने वाले छोटे-छोटे विवरण भी जाँच-पड़ताल में हमारी मदद कर सकते हैं।

हम जानते हैं कि यौन अपराध को दोबारा याद करना कठिन हो सकता है। व्यक्तिगत और शारीरिक रूप से अंतरंग प्रकृति की जानकारी साझा करना आसान नहीं है। हमारे जाँचकर्ता आपके साथ गरिमा और सम्मान के साथ बर्ताव करेंगे। वे यौन अपराध के प्रभावों को समझने में प्रशिक्षित होते हैं और वे पूरी प्रक्रिया में आपका समर्थन करेंगे। आप भावनात्मक समर्थन के लिए अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को रख सकते/सकती हैं।

अपना बयान देने के लिए अपने लिए ज़रूरी समय लें। यह महत्वपूर्ण है कि अपना बयान देते समय आप सुखद महसूस करें। अपना बयान देने में कई घंटे लग सकते हैं और इसमें कभी-कभार एक से अधिक एपॉइंटमेंट ज़रूरी हो सकते हैं।

आपको इसकी समाप्ति पर अपने बयान की एक प्रति दी जाएगी। यदि आपको बाद में कुछ याद आता है या आपको बयान में कोई गलती दिखाई देती है, तो अपने मामले की जाँच करने वाले जाँचकर्ता से बात करें।

## फोरेंसिक मेडिकल जाँच

यौन अपराधों में हमेशा शारीरिक क्षति शामिल नहीं होती है।

आपकी रिपोर्ट और समय-सीमा की परिस्थितियों के आधार पर आपको फोरेंसिक मेडिकल जाँच कराने के लिए कहा जा सकता है। यदि फोरेंसिक मेडिकल जाँच उचित हो, तो हम यह समझाएंगे कि इसमें क्या शामिल है और आपकी सहमति के साथ आपके लिए परामर्श का प्रबंध करेंगे।

यह आपका फैसला है कि आप फोरेंसिक मेडिकल जाँच कराना चाहते/चाहती हैं या नहीं, परन्तु ध्यान रखें कि समय बीतने के साथ प्रमाण लुप्त हो सकता है।

फोरेंसिक मेडिकल जाँच प्रशिक्षित चिकित्सीय व्यावसायिकों द्वारा की जाती है जो सभी तात्कालिक चिकित्सीय ज़रूरतों पर ध्यान देंगे तथा जाँच-पड़ताल में प्रयोग किए जाने वाला प्रमाण इकट्ठा करेंगे। वे शारीरिक क्षति की तस्वीरें खींच सकते हैं और यदि यौन रूप से संक्रमित होने वाले संक्रमणों या गर्भावस्था के संबंध में आपकी कोई शंकाएँ हैं, तो वे उनपर चर्चा करेंगे। आपके पास यह अधिकार है कि आप जाँच के दौरान CASA सलाहकार और/या किसी सहायक व्यक्ति को अपने साथ उपस्थित रखें।

**फोरेंसिक मेडिकल जाँच के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्टोरियाई फोरेंसिक चिकित्सा संस्थान (Victorian Institute of Forensic Medicine) की वेबसाइट [vifm.org](http://vifm.org) देखें।**

## अन्य प्रमाण एकत्र करना

हम अपराध से सम्बन्धित प्रमाण इकट्ठा करेंगे। प्रमाण के तौर पर हम जो चीजें इकट्ठा करेंगे, वह यौन अपराध की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

जाँच-पड़ताल के दौरान एकत्र किए गए प्रमाण को सुरक्षित रूप से संभाल कर रखा जाएगा और प्रमाण के तौर पर ली गई सभी वस्तुओं को केवल उतने समय के लिए ही रखा जाएगा जितना आवश्यक हो। प्रक्रियाओं की समाप्ति पर हम आपके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे कि आप कौन सी वस्तुओं को वापिस लेना चाहते/चाहती हैं।

हम उन लोगों के बयान लेंगे जिन्होंने शायद यौन अपराध होते हुए देखा हो या जो जाँच-पड़ताल में सहायता देने वाली जानकारी प्रदान कर सकें। हम यह समझते हैं कि आप जाँचकर्ता द्वारा आपके परिवार या मित्रों के साथ बात किए जाने के लिए अनिच्छुक हो सकते/सकती हैं।

हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और हम गवाहों से बात करते हुए किसी भी अनावश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। यदि आपके पास हमारे द्वारा संभावित तौर पर किसी व्यक्ति से बात किए जाने को लेकर कोई चिंता या शंका है, तो हमें बताएँ ताकि हम आपकी चिंताओं पर चर्चा कर सकें।

## दोषी व्यक्ति का साक्षात्कार करना

अगर यह पता हो कि दोषी व्यक्ति कौन है या उसकी पहचान की जा चुकी है, तो हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं।

परिस्थितियों के आधार पर अदालत में मामला शुरू होने तक दोषी को हिरासत में रखा जा सकता है, रिहा किया जा सकता है या उसकी जमानत दी जा सकती है।

जाँच-पड़ताल के हरेक चरण में आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। हम आपको सूचित रखेंगे और आपकी सुरक्षा के प्रबंध के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे।

## प्रमाण की जाँच करना

जाँच-पड़ताल समाप्त होने पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किए गए सभी प्रमाणों की जाँच की जाएगी जो अदालत में आगे जाने वाले मामलों से सम्बन्धित निर्णय लेने में विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है। उपलब्ध प्रमाण और कानूनी नियमों पर ध्यानपूर्वक विचार करके निर्णय सुनाया जाता है।

**हरेक जाँच-पड़ताल अदालत तक नहीं पहुँचती है।**

इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि आपराधिक मुकदमे के आवश्यक स्तर को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा हो, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसके कारण समझाएंगे।

## अदालत में उपस्थिति और गवाह के लिए समर्थन

यदि मामला अदालत में पहुँचता है, तो जाँचकर्ता या अभियोक्ता आपको प्रक्रिया का विवरण देंगे और हरेक चरण में आपको अप-टु-डेट रखेंगे। अदालत की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं और ये इस आधार पर अलग-अलग होते हैं कि आपके मामले की सुनवाई किस अदालत में की जा रही है।

सदमे को कम से कम करने के लिए अदालत में विशेष रूप से तैयार किए गए प्रबंध होते हैं। इन प्रबंधों में क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न का प्रयोग करके किसी अन्य स्थल से प्रमाण देना, अदालत में स्क्रिनों का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करना कि आपको दोषी दिखाई न दे, और प्रमाण देते समय आपके साथ किसी सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना भी शामिल है।

**अदालत में उपस्थिति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया न्याय एवं सामुदायिक सुरक्षा विभाग (न्याय एवं सामुदायिक सुरक्षा विभाग (DEPARTMENT OF JUSTICE AND COMMUNITY SAFETY)) की वेबसाइट [victimsofcrime.vic.gov.au](http://victimsofcrime.vic.gov.au) देखें।**

अदालत में आपकी सहायता और समर्थन के लिए आपके व आपके परिवार के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं, जैसे लोक अभियोजन कार्यालय (Office of Public Prosecution) की गवाह सहायता सेवा। आवश्यक होने पर हम इन विशेषज्ञ समर्थन सेवाओं के लिए रेफरल दे सकते हैं।

**और अधिक जानकारी के लिए कृपया गवाह सहायता सेवा (Witness Assistance Service) की वेबसाइट [victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au](http://victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au) देखें।**

## पुलिस से संपर्क करें

**यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (एसओसीआईटी) [यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (एसओसीआईटी) [SEXUAL OFFENCES AND CHILD ABUSE INVESTIGATION TEAMS (SOCIT)]]**

आप यौन अपराधों की सूचना SOCITs को दे सकते/सकती हैं। हमारे यहाँ पूरे विक्टोरिया-भर में SOCITs स्थित हैं।

SOCIT के स्थल और फोन नम्बर अगले पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं। स्थलों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि आप अपनी नज़दीकी इकाई का आसानी से पता लगा सकें।

### SANO कार्यबल

Sano कार्यबल मेलबर्न में स्थित है परन्तु यह पूरे राज्य-भर में संचालन करती है। किसी धार्मिक या संस्थागत परिसर में घटित हुए बाल यौन दुर्व्यवहार (अतीत या वर्तमान में) की सूचना भी Sano कार्यबल को निम्नलिखित माध्यमों से दी जा सकती है:

**आपातक स्थिति में ट्रिपल ज़ीरो (000) पर फोन करें।**

**यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (एसओसीआईटी) [यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (एसओसीआईटी) [SEXUAL OFFENCES AND CHILD ABUSE INVESTIGATION TEAMS (SOCIT)]]**

### उत्तर-पश्चिमी महानगर

**Mernda** (03) 9216 1310  
**Fawkner** (03) 9355 6100  
**Brimbank** (03) 9313 3460  
**Melbourne** (03) 8690 4056  
**Westgate** (03) 9216 0566

### पश्चिमी विक्टोरिया

**Ballarat** (03) 5336 6055  
**Central Victoria (Bendigo)** (03) 5444 6752  
**Colac** (03) 5230 0044  
**Geelong** (03) 5246 8100  
**Horsham** (03) 5382 9241  
**Ararat** (03) 5355 1500  
**Mildura** (03) 5023 5980  
**Swan Hill** (03) 5036 1600  
**Warrnambool** (03) 5560 1333

### दक्षिणी महानगर

**Dandenong** (03) 8769 2200  
**Seaford** (03) 8770 1000  
**Bayside** (03) 8530 5100

### पूर्वी विक्टोरिया

**Bairnsdale** (03) 5150 2677  
**Benalla** (03) 5760 0200  
**Box Hill** (03) 8892 3292  
**Knox** (03) 9881 7939  
**Central Gippsland (Morwell)** (03) 5120 0300  
**Sale** (03) 5142 2200  
**Seymour** (03) 5735 0208  
**Shepparton** (03) 5820 5878  
**Wangaratta** (03) 5723 0848  
**Wodonga** (02) 6049 2672

### SANO कार्यबल

1800 110 007  
[sanotaskforce@police.vic.gov.au](mailto:sanotaskforce@police.vic.gov.au)

## मैं और किस व्यक्ति से बात कर सकता/सकती हूँ

विक्टोरिया पुलिस से स्वतंत्र ऐसी कई संस्थाएँ उपस्थित हैं जिनसे आप और अधिक जानकारी तथा समर्थन के लिए संपर्क कर सकते/सकती हैं। ये संस्थाएँ आपको समर्थन दे सकती हैं, भले ही आप पुलिस को सूचना देने का फैसला लें या न लें।

### यौन उत्पीड़न विरोध केन्द्र (CENTRES AGAINST SEXUAL ASSAULT)

1800 806 292

[casa.org.au](http://casa.org.au)

यौन उत्पीड़न विरोध केन्द्र यौन उत्पीड़न के पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को निःशुल्क परामर्श और समर्थन प्रदान करते हैं। कार्यकाल के घंटों के दौरान अपने सबसे नज़दीकी CASA तक पहुँच प्राप्त करने के लिए 1800 806 292 पर फोन करें।

### कार्यकाल-पश्चात यौन उत्पीड़न संकटकालीन सेवा (AFTER HOURS SEXUAL ASSAULT CRISIS LINE)

1800 806 292

[casa.org.au](http://casa.org.au)

कार्यकाल के पश्चात यौन उत्पीड़न संकटकालीन सेवा यौन उत्पीड़न के सभी पीड़ितों/उत्तरजीवियों को उनके जीवन में किसी भी समय राज्य-व्यापी संकटकालीन सलाह और समर्थन सेवा प्रदान करती है और यह सेवा यौन उत्पीड़न के हाल ही के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए CASA के साथ कार्यकाल के पश्चात की देखरेख प्रतिक्रिया का समन्वयन करती है। यह सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक तथा सप्ताहों और सार्वजनिक अवकाशों में पूरे दिन उपलब्ध रहती है।

### राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, घरेलू पारिवारिक हिंसा सलाहकारी सेवा (NATIONAL SEXUAL ASSAULT, DOMESTIC FAMILY VIOLENCE COUNSELLING SERVICE)

1800 737 732 (1800RESPECT)

[1800RESPECT.org.au](http://1800RESPECT.org.au)

राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, घरेलू पारिवारिक हिंसा सलाहकारी सेवा अतीत और हाल ही में घटित यौन उत्पीड़न और/या घरेलू पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध राष्ट्रव्यापी टेलीफोन और ऑनलाइन सलाहकारी सेवा है। यह दुभाषिया और सांकेतिक भाषा (Auslan) सेवा प्रदान करती है।

### सुरक्षित कदम (SAFE STEPS)

1800 015 188

[safesteps.org.au](http://safesteps.org.au)

सुरक्षित कदम (SAFE STEPS) सहजीवी या भूतपूर्व-सहजीवी, परिवार के किसी अन्य सदस्य या अपने किसी करीबी व्यक्ति द्वारा हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए एक राज्य-व्यापी सेवा है। यह महिलाओं और बच्चों को हिंसा से मुक्त होने और मुक्त बने रहने के लिए सक्षम बनाने हेतु व्यापक प्रकार की समर्थन सेवाएँ प्रदान करती है। पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाएँ दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन फोन कर सकती हैं और पारिवारिक हिंसा समर्थन सेवाओं, कानूनी अधिकारों और आवासीय विकल्पों के बारे में जानकारी के लिए किसी अन्य महिला से गोपनीय रूप से बात कर सकती हैं।

### इनटच घरेलू हिंसा विरोध बहुसांस्कृतिक केन्द्र (INTOUCH MULTICULTURAL CENTRE AGAINST FAMILY VIOLENCE)

03 9413 6500

[intouch.org.au](http://intouch.org.au)

inTouch एक विशेषज्ञ पारिवारिक हिंसा सेवा है जो वर्तमान या अतीत में पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाली आप्रवासी और शरणार्थी पृष्ठभूमियों की महिलाओं को सांस्कृतिक तौर पर प्रतिक्रियाशील समर्थन प्रदान करती है। यह सेवा विक्टोरिया में रहने वाली 18 साल या इससे अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क और गोपनीय है। पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाएँ सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच 1800 755 988 (टॉल फ्री) पर inTouch से संपर्क कर सकती हैं।

### न्याय एवं सामुदायिक सुरक्षा विभाग (DEPARTMENT OF JUSTICE AND COMMUNITY SAFETY)

1800 819 817

0427 767 891 (टेक्सट)

[victimsofcrime.vic.gov.au](http://victimsofcrime.vic.gov.au)

न्याय एवं सामुदायिक सुरक्षा विभाग (DEPARTMENT OF JUSTICE AND COMMUNITY SAFETY) सप्ताह में 7 दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच निःशुल्क जानकारी प्रदान करता है। यह अपराध की सूचना देने से सम्बन्धित जानकारी और परामर्श तथा आपके अधिकारों, अदालती प्रक्रिया और आपके लिए सम्भवतः मददगार अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह मुआवज़े और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने में भी आपकी मदद कर सकता है।

### राष्ट्रीय निवारण योजना (NATIONAL REDRESS SCHEME)

1800 737 377

[nationalredress.gov.au](http://nationalredress.gov.au)

राष्ट्रीय निवारण योजना अतीत में संस्थागत रूप से बाल यौन दुर्व्यवहार का सामना करने वाले लोगों को समर्थन प्रदान करती है। यह योजना अतीत में संस्थागत बाल यौन दुर्व्यवहार का सामना करने वाले लोगों को सलाह सुलभ कराती है, जो संस्था की ओर से सीधा व्यक्तिगत उत्तर और निवारण भुगतान होता है। राष्ट्रीय निवारण योजना से शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है। निःशुल्क, गोपनीय निवारण समर्थन सेवाओं के विवरण वेबसाइट [nationalredress.gov.au/support](http://nationalredress.gov.au/support) पर उपलब्ध हैं, या ऊपर दिए गए नम्बर पर फोन करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

### लोक पक्षसमर्थन कार्यालय (OFFICE OF THE PUBLIC ADVOCATE)

1300 309 337

[publicadvocate.vic.gov.au](http://publicadvocate.vic.gov.au)

लोक पक्षसमर्थन कार्यालय विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों और हितों का प्रसार और इनकी सुरक्षा करता है। इसकी सलाह सेवा विकलांगता-ग्रस्त लोगों, परिवारों, देखभालकर्ताओं, स्वास्थ्य एवं कल्याण व्यावसायिकों और रुचि रखने वाले अन्य पक्षों को संरक्षण, प्रशासन, पॉवर ऑफ अटर्नी (मुख्तारनामा), चिकित्सीय सहमति, क्षमता और पक्षसमर्थन की विशेषज्ञ सलाह और सूचना देती है। इस सलाह सेवा से कार्यकाल के दौरान संपर्क किया जा सकता है। कार्यकाल-पश्चात ड्यूटी अफसर कार्यकाल के बाहर तात्कालिक सलाह देने के लिए उपलब्ध रहता है।

### महिला कानूनी सेवा विक्टोरिया (WOMEN'S LEGAL SERVICE VICTORIA)

03 8622 0600 (महानगर)

1800 133 302 (ग्रामीण क्षेत्र)

[womenslegal.org.au](http://womenslegal.org.au)

महिला कानूनी सेवा विक्टोरिया (WOMEN'S LEGAL SERVICE VICTORIA) प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने वाली उन महिलाओं की मदद करती है जो संबंध टूटने और हिंसा के कारण कानूनी समस्याओं का सामना कर रही होती हैं। यह पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा मध्यवर्तन आदेश, बच्चों की कस्टडी और सुगमता, अलगाव के बाद संपत्ति का विभाजन, अलगाव और तलाक तथा अपराध के पीड़ितों के लिए आवेदन जैसे मामलों में सहायता कर सकती है। ऋण संबंधी समस्याओं, वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाली महिलाओं और संबंध टूटने के बाद आर्थिक पात्रताओं की सुलभता में कठिनाई का सामना करने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सलाह उपलब्ध है।

### ई-सुरक्षा आयुक्त (ESAFETY COMMISSIONER)

[esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse](http://esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse)

eSafety अंतरंग तस्वीरों या वीडियो को हटाने में, और कुछ मामलों में तस्वीरों में दिखाई देने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना अंतरंग तस्वीरों या वीडियो को साझा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही में मदद कर सकती है।

## शब्दावली

### दोषी

इस पुस्तिका में उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए प्रयुक्त शब्द, जिसपर अपराध करने का आरोप लगा हो। संदर्भ के आधार पर इस व्यक्ति को संदिग्ध, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी या मुजरिम भी कहा जा सकता है।

### जाँचकर्ता (जासूस)

उच्च प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी, जो यौन अपराधों, बाल दुर्व्यवहार और अन्य आपराधिक गतिविधि की जाँच-पड़ताल करता है।

### फॉरेंसिक मेडिकल जाँच

अपराध के दौरान हुए शारीरिक नुकसान का आरंभिक उपचार, आकलन, दस्तावेजीकरण और व्याख्या करने वाली चिकित्सीय जाँच। एक प्रशिक्षित चिकित्सीय व्यावसायिक इसे करता है, जिसे फॉरेंसिक मेडिकल अफसर या फॉरेंसिक नर्स जाँचकर्ता कहा जाता है।

### लोक अभियोजन कार्यालय (Office of Public Prosecutions)

सॉलिसिटर (वकील) का कार्यालय, जो लोक अभियोजन निदेशक (Director of Public Prosecutions) की ओर से गंभीर आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाता है। यह संगठन विक्टोरिया पुलिस से अलग है।

### SANO कार्यबल

विक्टोरिया पुलिस की एक विशेषज्ञ इकाई, जो किसी धार्मिक या संस्थागत परिसर में घटित (अतीत या वर्तमान में) बाल यौन दुर्व्यवहार की सूचना की जाँच-पड़ताल करती है।

### यौन अपराध

असहमति वाले यौनाचरण के व्यापक प्रकार। इनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और बाल यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं।

### यौन अपराध एवं बाल दुर्व्यवहार जाँच-पड़ताल टीम (एसओसीआईटी) [SEXUAL OFFENCES AND CHILD ABUSE INVESTIGATION TEAMS (SOCIT)]

जाँचकर्ताओं की एक विशेषज्ञ टीम, जो यौन अपराधों और बाल दुर्व्यवहार की सूचनाओं की जाँच करती है।

### बयान

किसी व्यक्ति द्वारा देखे गए तथ्यों और घटनाओं का विस्तृत विवरण, जो अपराध के लिए प्रासंगिक हो। सामान्य रूप से इसे लिखा जाता है, परन्तु कभी-कभार इसे वीडियो पर रिकॉर्ड भी किया जा सकता है।

### समर्थन संस्था या सेवा

विक्टोरिया पुलिस से अलग संगठन, जो जाँच-पड़ताल और अदालती प्रक्रिया, चिकित्सीय सहायता और आपातकालीन आवास के बारे में सलाह और सूचना जैसी विभिन्न समर्थन और सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

### सहायक व्यक्ति

जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक समर्थन प्रदान करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति कोई मित्र/सहेली, परिवार का कोई सदस्य या किसी समर्थन सेवा का कर्मचारी या स्वयंसेवी हो सकता है। यह व्यक्ति अपराध का गवाह नहीं हो सकता है और इसे पुलिस के जाँच-पड़ताल कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

### जासूस:

## फीडबैक (प्रतिक्रिया) प्रदान करना

यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव नहीं किया है या आपको सही जानकारी नहीं दी है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं:

- अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन (विवरण के लिए वेबसाइट [police.vic.gov.au/location](http://police.vic.gov.au/location) देखें) से संपर्क करें
- [Complaints@police.vic.gov.au](mailto:Complaints@police.vic.gov.au) पते पर ई-मेल भेजें

यदि आप प्राप्त हुई सेवा के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहते/चाहती हैं, तो [compliments@police.vic.gov.au](mailto:compliments@police.vic.gov.au) पते पर ईमेल भेजें

### परंपरागत भूस्वामियों के प्रति आभार

विक्टोरिया पुलिस इस भूमि के परंपरागत स्वामियों का सम्मान करती है, जिसपर हम रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम वयोवृद्धों तथा सभी आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों का सम्मान करते हैं, जो अपनी भूमि, संस्कृति और लोगों की देखरेख करना जारी रखते हैं।

विक्टोरिया पुलिस द्वारा प्राधिकृत और प्रकाशित

Victoria Police Centre

PO Box 913, Melbourne VIC 3001

विक्टोरिया पुलिस द्वारा फरवरी 2020 में प्रकाशित

© The State of Victoria, Victoria Police 2020

यह प्रकाशन कॉपीराइट है। कॉपीराइट अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार बताए गए तरीकों के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा कोई भी अंश पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

